

VIDHAN SABHA QUESTION
IMMEDIATE/OUT TODAY

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS
K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002
(POLICY BRANCH)

No. F.2(13)/DLA/MS/P&C/F&S/2015/534

Dated: 8/8/2017

To

The Dy. Secretary (Question Branch)
Delhi Legislative Assembly
Old Secretariat, Delhi-54

Sub: Delhi Legislative Assembly Unstarred Question No. 114 asked by
Sh.Sanjeev Jha, MLA due for answer on 09.08.2017.

Sir,

With reference to above cited subject, I am directed to forward herewith 100 copies of reply of the above stated question, duly authenticated by the Competent Authority.

Yours faithfully,

Encl:As above.


(R.K. SAXENA)
ASSTT. COMMISSIONER (P&C)

No. F.2(13)/DLA/MS/P&C/F&S/2017

Dated:

Copy forwarded to :-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity, Government of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi along with 150 copies of the reply of, above referred DLA Starred question of distribution of the House.


(R.K. SAXENA)
ASSTT. COMMISSIONER (P&C)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग (नीति शाखा)
के-ब्लॉक, विकास भवन, आई,पी,एस्टेट,
नई दिल्ली - 110002

अतारांकित प्रश्न संख्या :-114
दिनांक :-09/08/2017
प्रश्नकर्ता का नाम :-श्री संजीव झा
क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
(क) वर्तमान समय में दिल्ली राज्य क्षेत्र के अन्दर अलग-अलग श्रेणियों के राशन कार्ड की संख्या क्या है ।	31/07/2017 को आबंटन के लिए शामिल किये गये लाभार्थियों के परिवारों की संख्या श्रेणीवार निम्न प्रकार है । एएवाई-74053 पीआरएस-188794 पीआर-1682028
(ख) क्या वर्तमान समय में राशन कार्ड बन रहे हैं,	जी हाँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राशन कार्ड जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है । भारत सरकार ने दिल्ली के लिए 72,77,995 लाख लाभार्थी अनुमन्य किये हैं । भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (72,77,995) पार होने के बाद आवेदकों की पात्रतानुसार वरीयताक्रम में रखे जाने का प्रावधान है ।
(ग) यदि हाँ, तो राशन कार्ड बनने की अंतिम तिथि क्या है,	उपरोक्त 'ख' के अनुसार लागू नहीं होता ।
(घ) यदि नहीं, तो नए राशन कार्ड बनाने को लेकर सरकार की क्या योजना है ?	उपरोक्त 'ख' के अनुसार लागू नहीं होता ।

K. R. MEENA, I.A.S.
Secretary-Cum-Commissioner
Deptt. of Food, Supplies & Consumer Affairs
Govt. of N.C.T. of Delhi
K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate,
New Delhi-110002